

**कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मध्यप्रदेश भोपाल**

क्रमांक 350 / स्था. (राज) / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2017

भोपाल, दिनांक 03/10/2017

पंचम संशोधन / नवीन समावेश

1. इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक 327 / स्था. / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2017 दिनांक 14.09.2017 के अनुक्रम में इस संशोधन के माध्यम से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अंतर्गत जल प्रदाय, सीवरेज, सीवरेज संधारण, नलकूप खनन, हैण्डपम्प / पावर पंप, स्थापना भूजल संवर्धन एवं अन्य विविध कार्यों हेतु दिनांक 01.06.2016 से लागू यूनिफाईड एस.ओ.आर. में निम्न तालिका में सम्मिलित चेप्टरों / आयटमों को छोड़कर शेष समस्त चेप्टरों / आयटमों की दरें 10 प्रतिशत कम की जाती है :-

चेप्टर का क्रमांक	आयटम क्रमांक
XVIII, XIX, XX, XXII, XXIII	समस्त आयटम
XXIV	24.1 से 24.3 तथा 24.7 से 24.14

2. दिनांक 01.06.2016 से लागू यूनिफाईड एस.ओ.आर. में निम्नानुसार संशोधन / नवीन समावेश किया जाता है :-

S. No.	Particulars of item	Unit	Rate
16.11 (A)	Installation of HDPE pipe by Horizontal Direction Drilling Method including preparing and setting up the plant and equipment, making string of new pipe material, installing new pipe string and making the system ready for commissioning by HDD operation including drilling, stringing, reaming and pulling back the new pipe on the designed bore path alignment, proper disposal of drilling fluid, as per code of practice for horizontal direction drilling technique suiting indian conditions. Required pipes/specials and other civil work shall be paid separately-in all types of soils. (This item shall be executed only after prior permission of Superintending Engineer)		
	HDPE pipe of any class - 90 mm outer dia	Meter	451.00
	HDPE pipe of any class - 110 mm outer dia	Meter	492.00

इस नवीन आयटम 16.11 (A) की दरों में कर की राशि सम्मिलित नहीं हैं, इसलिये इसकी दरों में कंडिका 1 अनुसार 10 प्रतिशत की कमी लागू नहीं होगी।


3.10.17
(के. के. सोनगरिया)
प्रमुख अभियन्ता

पृ.क्रमांक 7905 / स्था. (राज) / प्र.अ. / लो.स्वा.यां.वि. / 2017 भोपाल, दिनांक 4/10/2017
प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
4. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
5. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल।
6. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल।
7. प्रमुख अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल।
8. मुख्य महा प्रबंधक, मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
9. मुख्य अभियंता, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, भोपाल।
10. समस्त मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.....
11. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.....
12. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.....
13. समस्त सहायक यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग.....
14. आदेश नस्ती।


3/10/17
प्रमुख अभियन्ता